कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी, फर्रुखाबाद।

पत्रांक 3752/पी0ए0–जि0अ0/निर्देश–2016 दिनांक 24–6–2016

आदेश

यह कि प्रायः देखने में आ रहा है कि अधिकांश जिला स्तरीय अधिकारी मुख्यालय छोड़ने तथा सार्वजनिक अवकाश का उपभोग करने एवं आकस्मिक अवकाश पर जाने के पूर्व अधोहस्ताक्षरी से लिखितरुप से मुख्यालय छोड़ने/अवकाश स्वीकृति करने की अनुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय छोड़कर प्रस्थान कर जाते है और उसके बाद पत्रावली/प्रार्थनापत्र के माध्यम से मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु आख्या प्रेषित की जा रही है, जो कि कदापि उचित नही है। समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वंय एक उत्तरदायी अधिकारी हैं और बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय छोड़ना आपकी पद की गरिमा के अनुकूल नही है एवं शासकीय नियमों के विपरीत है।

अतः आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप मुख्यालय से बाहर जाने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्व में लिखित अनुमति प्राप्त की जाय, यदि कोई विशेष आपातिक स्थिति हो तो दूरभाष पर या मेरे मोबाईल पर वार्ता कर अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही मुख्यालय से प्रस्थान किया जाय और यदि ऐसा सम्भव भी किसी कारण से आकस्मिकता में न हो पाये तब प्रस्थान के पूर्व एक लिखित एस0एम0एस0 अवश्य मेरे मोबाईल पर छोड़ा जाय। यदि आपके द्वारा फिर भी उपर्युक्तानुसार कार्यवाही अमल में नही लायी जाती हैं, तो बाध्य होकर अधोहस्ताक्षरी द्वारा शासकीय कार्यहित में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही एवं उस दिवस का वेतन अवरुद्ध करने हेतु "काम नही तो, दाम नही" के सिद्धान्त पर की जायेगी, जिसके लिए आप स्वतः उत्तरदायी होंगे।

(कर्ण सिंह चौहान)
जिलाधिकारी,
फर्रुखाबाद।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–समस्त कार्यालयाध्यक्ष जनपद फर्रुखाबाद को अनुपालनार्थ प्रेषित।

2–जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, फर्रुखाबाद को इस आशय से कि उपर्युक्त आदेश को बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।

3–जिला सूचना अधिकारी, फर्रुखाबाद।

24/06/2016

(कर्ण सिंह चौहान)
जिलाधिकारी,
फर्रुखाबाद।